कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 667/11–सी– **FP/UP/Road/20685/2016**, लखनऊः दिनांकः सितम्बर 27,2016

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सा0वा0 प्रभाग,
कौशाम्बी।

विषयः– जनपद–कौशाम्बी के अन्तर्गत पुरानी जी0टी0 रोड का आन्तरिक भाग के किमी0 161.800 से किमी0 180.00 (कोखराज से मनौरी तक) चार लेन के चौड़ीकरण निर्माण में बाधक 1753 वृक्षों के पातन की अनुमति एवं क्षेत्रफल 17.626 है0 संरक्षित वनभूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 वृत्त, इलाहाबाद के कार्यालय का पत्रांक–1005/15–1, दिनांक–22.09.2016

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में ऑन–लाइन व हार्ड कॉपी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1– वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन भारत सरकार द्वारा लगाई गयी मानक शर्तो के मान्य होने का प्रमाण–पत्र संलग्न है किन्तु सभी 18 मानक शर्तें का अंकित नहीं है।

2– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित Geo Refferenced Digital Map जो kml shp file में हों तथा सी0डी0 जैकेट कवर सहित, जिस पर मार्कर पेन द्वारा विवरण अंकित हो, संलग्न नही है अतः संलग्न करते हुए ऑन–लाइन अपलोड करें।

3– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित 1:50000 माप की रंगीन एस.ओ.आई. टोपोशीट संलग्न है किन्तु लीजेण्ड अंकित नहीं है। अतः संशोधित टोपोशीट संलग्न करते हुए ऑन–लाइन अपलोड करें।

4– वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकार का प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु जिलाधिकारी की मोहर अंकित नहीं है तथा ऑन–लाइन भी अपलोड करें।

5– क्षतिपूरक वृक्षारोपण होने वाले व्यय वाहन से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/वचनबद्वता प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।

6– एन0पी0वी0 जमा किये जाने की वचनबद्वता एवं उसमें संशोधन के उपरांत बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्वता संलग्न है, किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।

7– मार्ग चौड़ीकरण का संक्षिप्त स्टैण्र्ड क्रास सेक्शन (Liner Plan) संलग्न है, जो स्वीकार्य नहीं है। अतः मार्ग चौड़ीकरण का विस्तृत स्टैण्र्ड क्रास सेक्शन (Liner Plan) दिया जाए, जिसमें वर्तमान ROW तथा प्रस्तावित ROW की माप दर्शाया गया हो तथा तालिका स्वरूप में सड़क के किनारे पौधा रोपण के लिए जगह की उपलब्धता का विस्तृत विवरण संलग्न हो।

8– मलवा उत्सर्जन का विवरण, इसका निस्तारण एवं Reclamation plan संलग्न है किन्तु निर्धारित प्रारूप में नहीं है।

9– यदि मलवा उत्सर्जन हो रहा है तो गैरवनभूमि पर किये जाने वाले मलवा निस्तारण के लिए भू–स्वामित्व का सहमति पत्र संलग्न करें।

10– ऑन–लाइन पार्ट–2 में कमांक–3 में District wise area 'Nil" फीड है, जो त्रुटिपूर्ण है।

11– ऑन–लाइन पार्ट–2 एवं हार्ड कापी के भाग–2 में विभाग/जिला प्रोफाइल में अलग–अलग डाटा फीड किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है।

कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त कराकर, इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संलग्नकों तीन प्रतियों प्राप्त की
(कल्लू ...) 05.10.16

पत्रांकः– 667/11–सी– **FP/UP/Road/20685/2016**, दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 वृत्त, इलाहाबाद।

2– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 कौशाम्बी।

27/9/16

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

ACY-698

मो0नं0 – 7007729296.